सं0–भा.ति.सी.पु / रै0चि0 / स्था–3 / न्या.जां / अनु.(अभिषेक) / 2023 - 1040(B)
कार्यालय महानिरीक्षक(चिकित्सा)
रेफरल चिकित्सालय, भा0ति0सी0पुलिस बल
के0औ0सु0बल परिसर वृहत्तर नोएडा
पत्रालय– सूरजपुर, जिला– गौतमबुद्व नगर, (उ0प्र0)–201306
ई–मेल– itcellrh@itbp.gov.in

दिनॉक– 28/3/24

/ /कारण बताओ नोटिस / /

आपको दिनांक 10.08.2023 (अप्रा0) से 08.09.2023 (अप्रा0) तक 30 दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था जिसको आपके द्वारा अनुरोध करने पर बाद में दिनॉक– 09.09.2023 (अप्रा.) से 08.10.2023(अप्रा.) तक 30 दिन अवकाश बढौत्तरी प्रदान की गई थी। परिणामस्वरूप अवकाश की समाप्ति पर आपके द्वारा दिनांक 08.10.2023(अप्रा0) को अपनी डियूटी पर वापस रैफरल चिकित्सालय, भा.ति.सी.पुलिस, ग्रेटर नोएडा में उपस्थित होना था किन्तु आप बिना किसी सक्षम प्राधिकार से अवकाश से अनुपस्थित चल रहे है। इस कार्यालय के ज्ञापन संख्या–3238 दिनांक 10.10. 2023, 3324 दिनॉक– 20.10.2023 एवं 3456 दिनांक 30.10.2023 के तहत आपको ड्यूटी पर उपस्थित होने के लिए बार–बार निर्देशित किए जाने के बावजूद आपके द्वारा रैफरल चिकित्सालय, भा.ति.सी.पुलिस, ग्रेटर नोएडा में अपनी आमद दर्ज नही की गई है जिस कारण इस कार्यालय के आदेश सं0–451–67 दिनांक–10.02.2024 के तहत दिनांक–08.10.2023 (अप्रा.) से आपको "भगौडा" (Deserter) घोषित किया गया है जिसकी प्रति आपको पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित की गई है।

2 अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अवकाश से अनुपस्थित रहने के कारणों से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों सहित इस नोटिस के समाचार पत्र में प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिन के भीतर अपनी आमद रैफरल चिकित्सालय, भा.ति.सी.पु, ग्रेटर नोएडा में देना सुनिश्चित करें। यदि इस नोटिस के जारी होने के 30 दिन के भीतर आप अपनी आमद रैफरल चिकित्सालय, भा.ति.सी.पु, ग्रेटर नोएडा मे नही देते हैं तो यह समझा जाएगा कि आप बल में नौकरी करने के इच्छुक नही है तथा भा0ति0सी0पुलिस के नियम एवं अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

27.3.2024

महानिरीक्षक(चिकित्सा)
रैफरल चिकित्सालय,भा0ति0सी0पु0बल

सेवा में,

दल सं0–111115349
पद– वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी
नाम– डॉ0 अभिषेक शर्मा
पुत्र श्री आनन्द स्वरूप शर्मा
गॉव+पत्रालय–मानसरोवर
तहसील– सांगानेर
जिला–जयपुर (राजस्थान)

CBC 19112/11/0009/2425

013 1/4/24